

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 498
TO BE ANSWERED ON 07.12.2023

Lifestyle for the Environment-LiFE Movement

498. SHRI PABITRA MARGHERITA:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) the benefits of the proposed green credit programme in realising the goal of Prime Minister's Lifestyle for the Environment-LiFE Movement; and
- (b) the benefits of the proposed Ecomark Scheme in realising the goals of Prime Minister's Ecomark Scheme?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI ASHWINI KUMAR CHOUBEY)

(a) The Green Credit Rules, 2023 have been notified by the Government of India on 12th October 2023 (**Annexure-I**) under the Environment Protection Act, 1986. These rules put in place a mechanism to encourage voluntary plantation activity across the country, resulting in award of Green Credits and also to build an inventory of land which can be utilised for afforestation programmes. This will contribute to Lifestyle for the Environment-LiFE Movement which aims to encourage sustainable lifestyles by driving consumers/communities towards behavioural changes, promoting environment friendly actions.

(b) MoEFCC has published Draft Ecomark Certification Rules, 2023 vide S.O. 4441(E) dated 11th October, 2023 (**Annexure-II**) which aims to strengthen the institutional structure and implementation of the Ecomark Scheme.

The objective of the Ecomark Certification Rules, 2023 is to nudge consumer behaviour towards environmental friendly products that cause lesser adverse impacts on the environment thereby supporting 'LiFE (Lifestyle for Environment)'. This aims to encourage sustainable lifestyles by driving consumers towards behavioural changes that promote environment friendly actions.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249377
CG-DL-E-13102023-249377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4287]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945

No. 4287]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4458(अ).—विभिन्न पणधारकों के पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट हेतु बाजार-आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है;

और भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल कार्यों, जो संरक्षण एवं संयम की परंपराओं एवं मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के स्वस्थ एवं सतत तरीके का प्रचार करते हों, को बढ़ाकर अन्य पर्यावरणीय एवं जलवायु लाभों के लिए और सतत एवं पर्यावरण हितैषी विकास के लिए भू स्तर पर, जन आंदोलन के रूप में 'लाइफ' - 'पर्यावरण हेतु जीवन शैली' का प्रारम्भ है;

और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार-आधारित अभिनव तंत्र "लाइफ" आंदोलन को बढ़ावा देने में सहायता करेगा, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और समाज को पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने वाले व्यावहारिक परिवर्तनों की ओर प्रेरित करके सतत जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है;

और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अधीन बनाई गई कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 से पृथक है, ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने वाले पर्यावरणीय कार्यों से जलवायु संबंधी लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या समाप्त करना और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अधीन ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने वाला कार्य, उक्त स्कीम के अधीन उसी कार्य के लिए कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त किया जा सकेगा;

और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम, 2023 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2779 (अ), तारीख 26 जून, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के उद्देश्य. - (1) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरण हेतु सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और ग्रीन क्रेडिट प्रदान करेगा, जिससे व्यापार कर पाएंगे और ये घरेलू बाजार मंच पर व्यापार हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) ग्रीन क्रेडिट नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी पर्यावरणीय कार्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उपाय से प्राप्त होगा।

(3) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को वर्तमान में प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत विद्यमान दायित्वों या अन्य दायित्वों को पूरा करने के साथ-साथ नियम 4 में निर्दिष्ट स्वैच्छिक पर्यावरणीय उपाय करने हेतु अन्य व्यक्तियों, और इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर या खरीदकर प्रोत्साहित करेगा;

परन्तु कि उस समय प्रवृत्त विधि की अनुपालना में पूरे किए गए दायित्व से सृजित या प्राप्त ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य नहीं होगा।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "प्रशासक" से नियम 7 में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "अभिहित अभिकरण" से नियम 13 के अधीन ऐसी अभिहित कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ग) "ग्रीन क्रेडिट" से किसी विशिष्ट कार्य, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, हेतु प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एकल इकाई अभिप्रेत है;

(घ) "रजिस्ट्री" से तात्पर्य नियम 10 के अधीन स्थापित ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

4. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम - (1) कोई व्यक्ति या इकाई पर्यावरण की सुरक्षा, परिरक्षण या संरक्षण के प्रयोजनार्थ उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(i) वृक्षारोपण - सम्पूर्ण देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कार्यों को प्रोत्साहन हेतु;

(ii) जल प्रबंधन - जल संरक्षण, जल संचयन और जल के कुशल उपयोग या जल बचत को प्रोत्साहन हेतु, जिसमें अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग सम्मिलित है;

(iii) सतत कृषि - उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और उत्पादित खाद्य के पोषण मूल्य में सुधार लाने हेतु प्राकृतिक एवं पुनर्योजी कृषि प्रथाओं और भूमि पुनरुद्धार को प्रोत्साहन हेतु;

(iv) अपशिष्ट प्रबंधन - संग्रहण, पृथक्करण और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चक्रीयता, सततता और परिष्कृत प्रथाओं को प्रोत्साहन हेतु;

(v) वायु प्रदूषण में कमी लाना - वायु प्रदूषण में कमी लाने वाले उपायों और अन्य प्रदूषण उपशमन कार्यकलापों के प्रोत्साहन हेतु;

(vi) मैंग्रोव संरक्षण और पुनरुद्धार - मैंग्रोव के संरक्षण और पुनरुद्धार के उपायों को प्रोत्साहन हेतु;

(vi) इकोमार्क लेबल विकसित करना - विनिर्माताओं को अपने माल और सेवाओं हेतु इकोमार्क लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(vii) सतत भवन और बुनियादी ढांचा - पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का उपयोग करके सतत भवनों एवं अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(3) ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य हेतु ग्रीन क्रेडिट लेने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रशासक के पास रजिस्टर करना होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रशासक को किया जाएगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासक कार्य को किसी अभिहित अभिकरण द्वारा सत्यापित कराएगा।

(6) अभिहित अभिकरण, इस संबंध में बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, सत्यापन एवं पूछताछ, यथावश्यक, के पश्चात, आवेदक द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि करते हुए प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) आवेदक द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि करते हुए उप-नियम (6) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक आवेदक को ग्रीन क्रेडिट का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

5. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति - (1) किसी भी कार्य के संदर्भ में ग्रीन क्रेडिट की गणना करने की पद्धति इस प्रकार होगी, जो प्रशासक की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

(2) किए गए किसी भी कार्य के संदर्भ में ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन, समान स्केल, क्षेत्र, आकार एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समकक्षता पर आधारित होगी।

(3) नियम (4) के अधीन निर्दिष्ट कार्यों हेतु ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने और जारी करने की पद्धतियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

6. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की प्रक्रिया - (1) ग्रीन क्रेडिट की गणना के प्रयोजनार्थ किए गए कार्यों के मूल्यांकन और सत्यापन की पद्धति इस प्रकार होगी, जो प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) कार्यों के रजिस्ट्रीकरण का तरीका और इस प्रकार के रजिस्ट्रीकरण हेतु अपेक्षित विवरण प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) प्रशासक कार्यों के रजिस्ट्रीकरण, किए गए कार्यों के मूल्यांकन एवं सत्यापन और इस प्रकार सत्यापित कार्यों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने हेतु वेबसाइट विकसित करेगा।

7. प्रशासक - (1) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का सं. 21 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या 596/1990-91 के अधीन रजिस्ट्रीकरण सोसायटी तारीख 12 मार्च, 1991 द्वारा स्थापित और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फा. सं.1-8/89-आरटी, तारीख 22 जून, 1990 के माध्यम से यथाघोषित एक स्वायत्त निकाय, इन नियमों के अधीन प्रशासक होगा।

(2) प्रशासक इन नियमों के अधीन इसके प्रबंधन और संचालन सहित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रशासक के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और कार्य प्रणाली विकसित करना;

(ख) पद्धतियां, रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया, दिशानिर्देश और संबंधित माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन हेतु तंत्र विकसित करना;

(ग) ग्रीन क्रेडिट (डिजिटल ग्रीन क्रेडिट जारी करने सहित) और प्रत्येक चिह्नित कार्य से उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट का समतुल्य जारी करने हेतु कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करना;

(घ) ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और व्यापार मंच की स्थापना और संचालन हेतु; ग्रीन क्रेडिट जारी करने हेतु किसी कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्व-प्रमाणन या तृतीय पक्ष प्रमाणन हेतु; अभिहित अभिकरण द्वारा इसके निरीक्षण और सत्यापन हेतु और लेखा-परीक्षकों का पैनल बनाने एवं ऐसे लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करने हेतु दिशानिर्देश विकसित करना;

(ङ) अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री व्यापार मंच सेवा प्रदाता की स्थापना या नामित करना;

(च) ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल, ज्ञान एवं डेटा मंच और रजिस्ट्रीकरण संस्थाओं से शुल्क के लिए दिशानिर्देश विकसित करना;

(छ) नामित अभिकरण, रजिस्ट्री, व्यापार मंच और ज्ञान एवं डेटा मंच द्वारा वार्षिक विवरणियां एवं प्रगति प्रतिवेदन दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करना;

(ज) ग्रीन क्रेडिट के व्यापार हेतु बाजार स्थिरता तंत्र के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।

(झ) ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार से संबंधित मामलों को विनियमित करना और विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों के हितों की रक्षा करना और धोखाधड़ी या अविश्वास को रोकने के लिए निवारक एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना।

(4) प्रशासक उपरोक्त उपनियम (3) के अधीन दिशानिर्देशों एवं पद्धतियों हेतु केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

8. संचालन समिति - (1) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली संचालन समिति इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु उत्तरदायी होगी।

(2) संचालन समिति में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधि, पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग संघ और अन्य प्रासंगिक पणधारक सम्मिलित होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे।

(3) संचालन समिति, समय-समय पर, इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी, अर्थात्:-

(क) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले कार्य और क्षेत्र के संबंध में; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा इसको संदर्भित किसी भी मामले के संदर्भ में।

9. तकनीकी समिति — (1) केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक कार्य हेतु तकनीकी समितियों का गठन कर सकेगी, जो इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रशासक की सहायता करेगी।

(2) प्रत्येक तकनीकी समिति के सदस्यों में मंत्रालयों एवं विभागों, संगठनों और उस कार्य से संबंधित क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे;

(3) तकनीकी समिति सिफारिशें विकसित करेगी और प्रशासक को प्रेषित करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित भी होगा -

(क) वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन, समान स्केल, क्षेत्र, आकार एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समकक्षता के आधार पर ग्रीन क्रेडिट की एक इकाई की गणना के लिए पद्धति;

(ख) प्रत्येक कार्य के संबंध में रजिस्ट्रीकरण, सत्यापन, मूल्यांकन, माप और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए तंत्र।

(4) प्रशासक द्वारा तकनीकी समिति को निर्दिष्ट किसी भी अन्य तकनीकी मामले पर यह परामर्श देगी।

10. ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री - (1) प्रशासक या नामित अभिकरण प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट का रजिस्ट्रीकरण करने एवं जारी करने हेतु ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना एवं रखरखाव करेगी।

(2) रजिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रजिस्ट्रीकरण एवं ग्रीन क्रेडिट जारी करने से संबंधित सामान्य डेटा तत्व सम्मिलित होंगे।

(3) रजिस्ट्री निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्: -

- (क) कार्यों का रजिस्ट्रीकरण और ग्रीन क्रेडिट जारी करना;
- (ख) ग्रीन क्रेडिट जारी करने का सटीक लेखा-जोखा सुनिश्चित करना;
- (ग) सभी आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखना;
- (घ) प्रशासक द्वारा इसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

11. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म - (1) प्रशासक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से (व्यापार मंच) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा एवं उसका रखरखाव करेगा।

(2) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रशासक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीन क्रेडिट के व्यापार संबंधी कार्य करेगा।

12. ज्ञान एवं डेटा मंच - (1) प्रशासक किए जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में पारदर्शिता प्रदान करने और इन नियमों के अधीन क्षेत्रवार प्रगति की रिपोर्ट करने हेतु, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ज्ञान एवं डेटा मंच विकसित करेगा एवं उसका रखरखाव करेगा।

(2) ज्ञान एवं डेटा मंच रजिस्ट्री से उत्पन्न प्रमुख डेटा बिंदुओं और अन्य जानकारी, जैसे क्षेत्रवार उपलब्धियां, सर्वोत्तम प्रथाएं, क्षमता निर्माण संबंधी जानकारी आदि को संगृहीत कर सकेगा।

13. अभिहित अभिकरण - (1) प्रशासक ऐसी संस्थाओं को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिहित अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए संस्थाओं को नामित करेगा।

(2) अभिहित अभिकरण इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट जारी करने हेतु आवेदक द्वारा किए गए कार्यों के सत्यापन के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यापन करवाएगा और प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(3) अभिहित अभिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासक को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

14. ग्रीन क्रेडिट हेतु मांग उत्पन्न करना - (1) इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में भागीदारी स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होगी।

(2) संचालन समिति देश में ग्रीन क्रेडिट की मांग उत्पन्न करने के उपायों की सिफारिश करेगी।

15. लेखापरीक्षक - (1) प्रशासक, अभिहित अभिकरण, रजिस्ट्री, व्यापार मंच और ज्ञान एवं डेटा मंच के कार्यों की प्रत्येक तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक वर्ष के भीतर संचालन समिति की अनुशंसा पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करवाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षक अपना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रशासक को प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रशासक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं.12/24/2023 – एचएसएम (पीटी2)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

S.O. 4458 (E).—WHEREAS a Green Credit programme is being launched at national level to leverage a competitive market-based approach for green credit for incentivising environmental actions of various stakeholders;

AND WHEREAS the Government of India has introduced 'LiFE'-'Lifestyle for Environment', as a grass-root, mass movement, for protection and conservation of environment and for other environmental and climate gains, by enhancing environmental actions that propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation, and for sustainable and environment-friendly development;

AND WHEREAS an innovative market-based mechanism to incentivise environment positive actions will help promote the LIFE movement, which aims at encouraging sustainable lifestyles by driving consumer and community towards behavioural changes that promote environment friendly actions;

AND WHEREAS the Green Credit programme is independent of the carbon credit under the Carbon Credit Trading Scheme, 2023 made under the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), an environmental activity generating green credit may have climate co-benefits, such as reduction or removal of carbon emissions and an activity generating green credit under Green Credit programme may also get carbon credit from the same activity under the said Scheme;

AND WHEREAS the draft Green Credit Programme Implementation Rules, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2779(E), dated the 26th June 2023 inviting objections and suggestions from all persons;

AND WHEREAS all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3, section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Green Credit Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives of Green Credit programme.— (1) The green credit programme shall incentivise environmental positive actions through market-based mechanism and generate green credit, which shall be tradable and made available for trading on a domestic market platform.

(2) The green credit will arise from taking measures by a person of any environment activities referred to in sub-rule (2) of rule 4.

(3) The green credit programme shall encourage industries, companies and other entities to meet their existing obligations or other obligations under any law for the time being in force, and encourage other persons and entities, to undertake voluntary environmental measures referred to in rule 4 by generating or buying green credit:

Provided that the green credit generated or procured to fulfil any obligation in compliance of any law for the time being in force shall not be tradable.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Administrator” means the Administrator referred to in rule 7;

(b) “designated agency” means an entity designated as such under rule 13;

(c) “Green Credit” means a singular unit of an incentive provided for a specified activity, delivering a positive impact on the environment;

(d) “Registry” means the Green Credit Registry established under rule 10.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

4. Green Credit programme.— (1) Any person or entity may take any measure specified under sub-rule (2) for the purposes of protection, preservation, or conservation of the environment.

(2) The measures referred to in sub-rule (1) may include the following activities, namely:—

(i) tree plantation—to promote activities for increasing the green cover across the country;

(ii) water management—to promote water conservation, water harvesting and water use efficiency or water savings, including treatment and reuse of wastewater;

(iii) sustainable agriculture—to promote natural and regenerative agricultural practices and land restoration to improve productivity, soil health and nutritional value of food produced;

(iv) waste management—to promote circularity, sustainable and improved practices for waste management, including collection, segregation, and environmentally sound management;

(v) air pollution reduction—to promote measures for reducing air pollution and other pollution abatement activities;

(vi) mangrove conservation and restoration—to promote measures for conservation and restoration of mangroves;

(vi) ecomark label development—to encourage manufacturers to obtain ecomark label for their goods and services;

(vii) sustainable building and infrastructure—to encourage the construction of sustainable buildings and other infrastructure using environment friendly technologies and materials.

(3) A person or entity desirous of obtaining green credit shall register the activity with the Administrator for any activity referred to in sub-rule (2) undertaken by him for grant of green credit.

(4) An application for registration under sub-rule (3) shall be made to the Administrator electronically through a website established by the Central Government for that purpose.

(5) On receipt of the application under sub-rule (4), the Administrator shall cause the activity to be verified by a designated agency.

(6) The designated agency shall, after making such verification and inquiry as it may deem necessary, in accordance with the guideline made in this behalf, submit a report to the Administrator verifying the activities undertaken by the applicant.

(7) On receipt of the report under sub-rule (6) verifying the activities undertaken by the applicant, the Administrator shall grant the applicant a certificate of green credit.

5. Methodology of generating green credit.—(1) The methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken shall be such as may be notified by the Central Government on the recommendation of the Administrator.

(2) The calculation of green credit in respect of any activity undertaken shall be based on equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters required to achieve the desired environmental outcome.

6. Procedure for generation of green credit.— (1) The methodology for evaluation and verification of the activities undertaken for the purpose of calculation of green credit shall be such as may be determined by the Administrator.

(2) The manner of registration of the activities and the details required for such registration shall be determined by the Administrator.

(3) The Administrator shall develop the website for registration of activities, evaluation and verification of activities undertaken and award of green credit in respect of such verified activities, electronically.

7. Administrator.— (1) The Indian Council of Forestry Research and Education, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) vide Registration No.596/1990-91, dated the 12th March, 1991 and an autonomous body as declared by the then Ministry of Environment and Forests, Government of India vide Resolution No.1-8/89-RT, dated the 22nd June, 1990, shall be the Administrator under these rules.

(2) The Administrator shall be responsible for the effective implementation of the Green Credit programme, including its management and operation under these rules.

(3) The responsibilities of the Administrator shall include the following, namely:—

(a) develop guidelines, processes and procedures for the implementation of the green credit programme under these rules;

(b) develop methodologies, registration process, guidelines and associated measurement, reporting and verification mechanism;

(c) establish methodologies and processes for issuance of green credit (including issuance of digital green credit), and equivalence of green credit generated from each identified activity;

(d) develop guidelines for the establishment and operation of the Green Credit Registry and trading platform; for self-certification or third-party certification for the registration of an activity for issuance of green credits and its inspection and verification by designated agency, for empanelment of auditors and audit by such auditors;

(e) establish or designate the Green Credit Registry, and trading platform service provider in accordance with the approved guidelines;

(f) develop guidelines for the green credit programme portal, the knowledge and data platform, and for the fees from the registered entities;

(g) develop guidelines for filing of annual returns and progress reports by designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform;

(h) develop guidelines for the market stability mechanism for trading of green credit.

(i) regulate matters relating to trading of green credit certificates and to safeguard interest of sellers and buyers; and take preventive and corrective actions to prevent fraud or mistrust.

(4) The Administrator shall seek approval of the Central Government for guidelines and methodologies under sub-rule (3).

8. Steering Committee.— (1) A Steering Committee to be constituted by the Central Government shall be responsible for the monitoring of the implementation of the Green Credit programme under these rules.

(2) The Steering Committee shall comprise of representatives from the Ministries or Departments, experts from the field of environment, industry associations and other relevant stakeholders as the Central Government may consider appropriate.

(3) The Steering Committee shall, from time to time, review the Green Credit programme under these rules and make recommendations to the Central Government in respect of following, namely:—

(a) activities and sectors to be included in the Green Credit programme; and

(b) any matter referred to it by the Central Government.

9. Technical Committee.— (1) The Central Government, based on the recommendations of the Administrator, may constitute Technical Committees for each activity which shall assist the Administrator in implementation of the Green Credit programme under these rules.

(2) Each Technical Committee shall comprise of members from the Ministries and Departments, organisations and experts having the knowledge and experience in the field related to the activity;

(3) Technical Committee shall develop and make recommendations to the Administrator which will inter alia include—

(a) methodology for calculation of one unit of Green Credit, on the basis of equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters required to achieve the desired environmental outcome;

(b) mechanism for registration, verification, evaluation, measurement and reporting process in respect of each activity.

(4) The Technical Committee shall advise on any other technical matter referred to it by the Administrator.

10. Green Credit Registry.— (1) The Administrator or designated agency shall establish and maintain a Green Credit Registry for the registration and issuance of each Green Credit.

(2) The Registry shall be an electronic database, which, inter alia, shall contain common data elements relevant to the registration and issuance of green credit.

(3) The Registry shall discharge the following functions, namely:—

(a) registration of activities and issuance of green credit;

(b) ensure accurate accounting of the issuance of green credit;

(c) maintain secure database with all required and essential security protocols;

(d) any other function assigned to it by the Administrator.

11. Trading platform.— (1) The Administrator shall establish and maintain a trading platform with the approval of the Central Government.

(2) The trading platform shall perform functions regarding the trading of green credit, in accordance with the guidelines made by the Administrator with the approval of the Central Government.

12. Knowledge and data platform.— (1) The Administrator shall develop and maintain a knowledge and data platform, with approval of the Central Government, for providing transparency on various activities being undertaken and for reporting sectoral progress under these rules.

(2) The knowledge and data platform may collate key data points generated from the Registry and other information, such as sectoral achievements, best practices, information on capacity building, etc.

13. Designated agency.— (1) The Administrator shall designate such entities to act as designated agency in accordance with the guidelines approved by the Central Government.

(2) The designated agency shall conduct verification and submit reports to the Administrator in accordance with the guidelines as regard to the verification of the activities undertaken by an applicant for issuance of green credit under these rules.;

(3) The designated agency shall file annual returns to the Administrator in accordance with the guidelines.

14. Demand generation for green credit.— (1) The participation to the Green Credit programme under these rules shall be based on voluntary participation.

(2) The Steering Committee shall recommend measures to generate demand for green credit in the country.

15. Auditors.— (1) The activities of the Administrator, designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform shall be audited within a period of one year at the end of every third financial year by independent auditors to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Steering Committee.

(2) The auditor referred to in sub-rule (1) shall submit its audit report to the Administrator.

(3) The Administrator shall submit an action taken report on the audit report to the Central Government within a period of six months from the date of the receipt of the audit report.

[F. No.12/24/2023–HSM(pt2)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102023-249354
CG-DL-E-12102023-249354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4270]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945

No. 4270]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4441(अ).—भारत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के संबंध में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 85(अ), तारीख 21 फरवरी, 1991 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में एक योजना – 'इकोमार्क' अधिसूचित की थी, जिसका उद्देश्य उन घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता उत्पादों का प्रत्यायन और लेबलिंग उपलब्ध कराना है जो इस उत्पाद के लिए भारतीय मानकों की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं के साथ-साथ कुछ पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करते हैं।

और, इकोमार्क योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को संधारणीय उपयोग पद्धतियों का अनुसरण करने के लिए तथा उद्योग-जगत को पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं या उत्पादन पद्धतियों को लागू करने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराती है।

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा 2 के खण्ड (ii), धारा 6 की उप-धारा (1), और धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. 85 (अ), 1991 को अधिक्रमित करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, उससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ, उत्पाद की ईको-लेबलिंग के संबंध में निम्नलिखित नियम-इकोमार्क प्रमाणन नियम, 2023 विनिर्दिष्ट करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर राजपत्र में प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003 के पते पर और ई-मेल आईडी : sohsmd-mef@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग और आरंभ – (1) इसे इकोमार्क प्रमाणन नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह अधिसूचना ऐसे किसी भी उत्पाद पर लागू होगी जिसका उत्पादन या आपूर्ति वितरण हेतु, या बाजार में उपयोग हेतु किया जाता है, बशर्ते उसे इकोमार्क प्रमाणन नियम के तहत शामिल नहीं किया गया हो।

(3) यह आधिकारिक राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. प्रस्तावना – (1) इकोमार्क प्रमाणन नियम (इसमें इसके पश्चात् 'इकोमार्क नियम' के रूप में संदर्भित) ऐसे उत्पादों की लेबलिंग के लिए है जिनका पर्यावरण पर अपेक्षाकृत कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को अपनाने के लिए तथा विनिर्माताओं को संधारणीय को बढ़ावा देने हेतु इकोमार्क प्रमाणित उत्पादों का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(2) इकोमार्क नियम पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देंगे और संसाधन की खपत और पर्यावरणीय प्रभावों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, प्रकृति और जैवविविधता पर प्रभाव, ऊर्जा की खपत, अपशिष्ट सृजन, समस्त पर्यावरणीय माध्यमों में उत्सर्जन, भौतिक सामानों के जरिए होने वाले प्रदूषण तथा खतरनाक पदार्थों के उपयोग एवं रिलीज के संबंध में ऐसे उत्पादों का पर्यावरणीय कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

(3) इकोमार्क नियम उन उत्पादों को लेबलिंग उपलब्ध कराएंगे जो अनुमोदित पर्यावरणीय मानदण्डों को पूरा करते हैं।

3. उद्देश्य – (1) इकोमार्क नियम का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग को बढ़ावा देना है जो पर्यावरण पर अपेक्षाकृत कम प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे लाइफ (पर्यावरण हेतु जीवन शैली) के सिद्धांतों को समर्थन मिलेगा, संसाधन के कुशल उपयोग और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और उन उत्पादों के पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में भ्रामक सूचना पर रोक लगेगी।

(2) इकोमार्क नियम के समग्र उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

क. पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में और अपनी पसंद के विकल्पों के विषय में उपभोक्ता को जागरूक बनाना, जिससे बेहतर पर्यावरण अनुकूल व्यवहार में तथा उपभोग की पद्धतियों में परिवर्तन आएगा;

ख. विनिर्माताओं को इकोमार्क प्रमाणित उत्पादों का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना;

ग. इकोमार्क लेबल के संबंध में भ्रामक और गलत सूचना की रोकथाम करना ताकि उसका दुरुपयोग न हो।

4. परिभाषाएँ- (1) इकोमार्क नियम में निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी –

क. 'विनिर्दिष्ट इकोमार्क सत्यापनकर्ता' का अर्थ ऐसी एजेंसी/व्यक्ति से है, जिसे निर्धारित मानदंड के अनुसार उत्पाद का सत्यापन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है;

ख. 'अधिनियम' का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) है;

ग. 'लेखापरीक्षा' का अर्थ इकोमार्क प्रमाणन नियमों के प्रभावकारी, निष्पक्ष और न्यायोचित कार्यान्वयन हेतु विनिर्दिष्ट इकोमार्क सत्यापनकर्ताओं, अन्य तृतीय पक्षों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के कार्यकलापों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करना है;

घ. 'इकोमार्क प्रमाणपत्र' का अर्थ है – प्रशासक द्वारा इकोमार्क नियमों के तहत जारी किया गया प्रमाणपत्र, जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय को अपने उत्पाद पर इकोमार्क चिह्नित करने के लिए अधिकृत करता है;

ङ. 'इकोमार्क प्रमाणपत्र धारक' का अर्थ एक व्यवसाय संचालक से है, जिसे इकोमार्क प्रशासक द्वारा इकोमार्क लेबल का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है;

- च. 'अनुरूपता आकलन' का अर्थ है - इकोमार्क प्रमाणपत्र प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए निर्दिष्ट इको लेबलिंग मानदंड के अनुरूप किसी उत्पाद के विनिर्दिष्ट इकोमार्क सत्यापनकर्ता द्वारा उसका मूल्यांकन;
- छ. 'उपभोक्ता' का अर्थ है - कोई भी व्यक्ति जो किसी भी उत्पाद को यह सोचकर खरीदता है कि इससे पर्यावरण पर कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;
- ज. 'पर्यावरणीय पहलू' का अर्थ है - उत्पादों के वे पहलू जो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं;
- झ. 'पर्यावरणीय प्रभाव' का अर्थ है - उत्पादों के परिणामस्वरूप पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन, चाहे वह प्रतिकूल हो या लाभकारी, पूर्णतः हो या आंशिक हो;
- ञ. 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)' का अर्थ है - एक पर्यावरणीय कार्यनीति जिससे किसी उत्पाद के लिए उत्पादक का उत्तरदायित्व, उत्पाद के उपभोग की पूर्ण अवधि के उपभोक्ता—उपरांत चरण, विशेष रूप से पुनर्चक्रण के लिए, और जब उन उत्पादों को उपभोक्ताओं द्वारा अब उपयोगी नहीं के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है तब उनके निपटान करने तक के लिए विस्तारित होगा;
- ट. 'उद्देश्य के लिए उपयुक्ता' का अर्थ है - विशिष्ट परिस्थितियों में किसी उत्पाद की किसी परिभाषित उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता;
- ठ. 'बाज़ार 'निगरानी' का अर्थ है - किसी तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करना कि इकोमार्क प्रमाणित उत्पाद निर्दिष्ट इको लेबलिंग आवश्यकताओं के अनुरूप है। बाजार निगरानी में अन्य बातों के साथ-साथ बाजार से नमूने चुनना, इकोमार्क के दुरुपयोग पर नजर रखना, संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करना आदि शामिल हैं;
- ड. किसी उत्पाद के संबंध में 'भ्रामक विज्ञापन' का अर्थ है - ऐसा विज्ञापन, जिसमें जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया गया है या ऐसे उत्पाद के पर्यावरणीय पहलू के संबंध में उपभोक्ताओं के गुमराह होने की संभावना;
- ढ. 'पोर्टल' का अर्थ है - इकोमार्क नियमों के कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन तंत्र;
- ण. 'प्रक्रिया' का अर्थ है - ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें कोई उत्पाद निर्मित होता है या सेवा प्रदान की जाती है। इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला में शामिल प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सकता है।
- त. 'उत्पाद' का अर्थ है - कोई भी वस्तु या सेवा या प्रक्रिया;
- थ. 'उत्पादक' का अर्थ है - कोई निर्माता या कोई सेवाप्रदाता;
- द. 'उत्पाद श्रेणी' का अर्थ है - ऐसे उत्पादों के समूह से है, जिनके एक समान कार्य है;
- ध. 'उत्पाद पर्यावरणीय मानदंड' का अर्थ है - ऐसी पर्यावरणीय आवश्यकताएं हैं, जिन्हें उत्पाद को पर्यावरणीय लेबल प्रदान किए जाने के लिए पूरा किया जाना है;
- न. 'तीसरा पक्ष' का अर्थ है - ऐसा व्यक्ति या निकाय, जिसे किसी मुद्दे पर प्रश्न उठने के संबंध में, उसमें शामिल पक्षों से स्वतंत्र माना गया है;

(2) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी किंहीं अन्य नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उस अधिनियम या ऐसे अन्य नियमों या विनियमों में दिए गए हैं।

5. **इकोमार्क के लिए मानदंड - (1)** इकोमार्क नियमों के अंतर्गत अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद/उत्पाद श्रेणी के लिए पर्यावरणीय मानदंड केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। मानदंड व्यापक पर्यावरणीय स्तरों और पहलुओं के लिए होंगे, जिनमें उत्पाद स्तर पर विशिष्ट मानदंड होंगे।

(2) गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए मानक निकाय (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) का प्रमाणन, या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का अधिदेश इकोमार्क के लिए पूर्व-आवश्यकता होगी।

(3) उत्पादों की जांच पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में की जाएगी, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है -

- i. कि अन्य तुलनात्मक उत्पादों की तुलना में, उनमें प्रदूषण पर्यावरणीय प्रभाव, अपशिष्ट उत्पादन और पर्यावरणीय उत्सर्जनों को कम करने या समाप्त करने की क्षमता काफी कम है;
- ii. कि वे पुनर्चक्रण योग्य हैं और/या पुनर्चक्रित उत्पादों से बने हैं, जहां तुलनीय उत्पाद नहीं हैं;
- iii. कि वे तुलनीय उत्पादों की अपेक्षा गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों सहित गैर-नवीकरणीय संसाधनों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दें;
- iv. कि यह उत्पाद विशेष रूप से प्रत्येक उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों के लिए निर्धारित उत्पाद संबंधी ऐसे प्राथमिक मानदंडों के संबंध में कमी करने में योगदान देता है, जिनसे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(4) उत्पाद संबंधी प्राथमिक मानदंड में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे -

- i. अशोधित सामग्री के स्रोत सहित उत्पादन या प्रक्रिया;
- ii. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग;
- iii. पर्यावरण पर संभावित प्रभाव;
- iv. उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन/अपशिष्ट का प्रभाव और सीमा;
- v. उत्पाद और उसकी पैकेजिंग का निपटान;
- vi. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमों का अनुपालन (जहां लागू हो);
- vii. अपशिष्ट और पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग;
- viii. पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्तता;
- ix. खतरनाक पदार्थों का सुरक्षित पदार्थों से प्रतिस्थापन।

6. इकोमार्क नियमों का कार्यान्वयन तंत्र - (1) केंद्र सरकार, देश में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से इकोमार्क नियमों का संचालन करेगी। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इकोमार्क नियमों का प्रशासन, संचालन समिति में निहित होगा। संचालन समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, डोमेन विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता समूह और अन्य संगत हितधारक शामिल होंगे।

(2) संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :

- i. निम्नलिखित के संबंध में अनुमोदन प्रदान करना :
 - क. इकोमार्क नियमों को संस्थागत बनाने की रूपरेखा;
 - ख. इकोमार्क प्रमाणित व्यवसाय प्रचालकों को प्रोत्साहित करने की पहलें;
 - ग. इकोमार्क प्रशासक की सिफारिशों पर इकोमार्क नियमों में शामिल किए जाने वाले उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों की अधिसूचना;
 - घ. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक इकोलेबलिंग कार्यक्रम की मान्यता;
 - ङ. इकोमार्क नियमों के प्रसार हेतु जन जागरूकता पैदा करने से संबंधित कार्यक्रमलाप;
 - च. इकोमार्क नियमों के प्रचार और भावी विकास के लिए रणनीतियाँ।
- ii. निम्नलिखित के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिशें करना :
 - क. इकोमार्क नियमों में शामिल किए जाने वाले उत्पाद/उत्पाद श्रेणी का निर्धारण करना;
 - ख. जीईएम पोर्टल के तहत सार्वजनिक खरीद में इकोमार्क उत्पादों को शामिल करना;
 - ग. इकोमार्क नियमों के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का आवंटन।
 - घ. इकोमार्क को अपनाने के उपाय करना;

- iii. इकोमार्क नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी :
 - क. इकोमार्क उत्पाद (उत्पादों) के संबंध में इकोमार्क मानदंड की समीक्षा करने की अवधि;
 - ख. उत्पाद (उत्पादों) के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन और/या इकोमार्क मानदंड तैयार करने के लिए किसी अनुसंधान/कार्यकलाप में सहायता करना;
 - ग. इकोमार्क नियमों के उपबंधों के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्टें;
 - घ. समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवाद और/या इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर, और इकोमार्क नियमों से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को मंत्रालय को अग्रेषित करना;
- iv. अंतरराष्ट्रीय इकोलेबलिंग कार्यक्रम की पारस्परिक मान्यता पर मार्गदर्शन;
- v. केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(3) संचालन समिति वर्ष में कम-से-कम दो बार या आवश्यकतानुसार बैठक करेगी।

(4) गलत प्रकटीकरण और धोखाधड़ी वाले दावों के मामले में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

7. **इकोमार्क प्रशासक और उसके कार्य -** (1) इकोमार्क प्रशासक (इसके बाद 'प्रशासक' के रूप में संदर्भित) इकोमार्क नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इकोमार्क नियमों का प्रशासक होगा।

(3) प्रशासक की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे;

- i. निम्नलिखित के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना;
 - क. इकोमार्क नियमों को संस्थागत बनाने की रूपरेखा;
 - ख. अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छः महीने के भीतर इकोमार्क वेबपोर्टल और नॉलेज/डाटाबेस प्लेटफार्म को विकसित करना;
 - ग. इकोमार्क सत्यापनकर्त्ताओं के नामांकन के संबंध में;
 - घ. बाजार निगरानी गतिविधियों को संचालित करने के लिए तृतीय पक्ष की नियुक्त हेतु
 - ङ. नामित इकोमार्क सत्यापनकर्त्ताओं, बाजार निगरानी के लिए पैनल में शामिल तृतीय पक्षों और पैनल में शामिल किसी अन्य तृतीय पक्ष को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले शुल्क के निर्धारण के लिए;
- ii. इकोमार्क नियमों के तहत शामिल किए जाने वाले उत्पादों की पहचान करना;
- iii. इकोमार्क नियमों के तहत विभिन्न उत्पादों के लिए तकनीकी समितियों का गठन; किसी उत्पाद को इकोमार्क नियमों के तहत प्रमाणित किए जाने के क्रम में अनुपालन करने हेतु विशेष मानदंड विकसित करना;
- iv. जानकारी की मौजूदा स्थिति और अपने/अन्य देशों में अपनाए जा रहे पर्यावरणीय मापदंडों की समीक्षा करना;
- v. संचालन समिति द्वारा अनुमोदित इकोमार्क को अपनाने के लिए इकोमार्क प्रमाणित संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु पहलें करना;
- vi. नामित इकोमार्क सत्यापनकर्त्ताओं, बाजार निगरानी के लिए तृतीय पक्ष और तृतीय पक्ष को इकोमार्क वेब पोर्टल पर पंजीकृत करना;
- vii. बाजार निगरानी के साथ-साथ लेखापरीक्षा के लिए नामित इकोमार्क सत्यापनकर्त्ताओं और तृतीय पक्ष को पैनलबद्ध करना;
- viii. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने उत्पाद को इकोमार्क या पंजीकृत इको लेबल से चिन्हित करने हेतु प्राधिकृत करते हुए सत्यापन के आधार पर इकोमार्क प्रमाणपत्र जारी करना;
- ix. इकोमार्क या पंजीकृत इको लेबल के उपयोग के लिए, किसी इकोमार्क प्रमाणपत्र की समीक्षा, निलंबन या इसे रद्द करना;
- x. प्रौद्योगिकी विकास और बाजार विकास को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इकोमार्क मापदंडों की समीक्षा करना;

- xi. सभी इकोमार्क या अन्य मान्यता प्राप्त इको लेबल संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट को समेकित करना और अगले वित्तीय वर्ष में 30 जून तक संचालन समिति को प्रस्तुत करना;
- xii. इकोमार्क नियमों के तहत मान्यता के लिए घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक इकोलेबलिंग कार्यक्रम का आकलन करना;
- xiii. पारस्परिक मान्यता के लिए अंतरराष्ट्रीय इकोलेबलिंग कार्यक्रम का आकलन करना;
- xiv. अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में इकोमार्क प्रमाणपत्र धारकों को मुआवजा देने का निर्देश देना;
- xv. यदि कोई पंजीकृत इकाई इकोमार्क नियमों के तहत पंजीकरण के लिए अपेक्षित गलत जानकारी देती है या जानबूझकर जानकारी छिपाती है या किसी कदाचार/अनियमितता के मामले में, उक्त इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद, प्रशासक द्वारा ऐसी इकाई का पंजीकरण एक निर्धारित अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है।
- xvi. संचालन समिति या केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(4) इकोमार्क प्रशासक, समय-समय पर, संचालन समिति के अनुमोदन से, इकोमार्क नियमों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली अधिसूचनाएं और आदेश जारी कर सकता है।

8. तकनीकी समितियां और उनके कार्य – (1) प्रशासक तकनीकी समितियों का गठन कर सकता है जिसमें विनिर्दिष्ट श्रेणियों से अपेक्षित ज्ञान रखने वाले सदस्य, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, विषय-वस्तु विशेषज्ञ, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे;

(2) तकनीकी समिति बाजार गतिविधियों के साथ-साथ तकनीकी प्रगति और आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करते हुए उत्पादों के लिए विशिष्ट इकोमार्क मानदंड विकसित करेगी और इनकी समीक्षा करेगी;

(3) तकनीकी समिति इकोमार्क प्रमाणीकरण के लिए उत्पादों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी विकसित करेगी;

(4) तकनीकी समिति विशिष्ट इकोमार्क मानदंड विकसित करते समय, अंतरराष्ट्रीय इकोलेबल उत्पाद मानदंड पर विचार कर सकती है;

(5) तकनीकी समिति प्रशासक को अपनी सिफारिशें करेगी;

(6) यह तकनीकी समिति प्रशासक के द्वारा संदर्भित किए जाने वाले किसी अन्य तकनीकी मामले पर भी अपनी सलाह देगी।

9. इकोमार्क पोर्टल – (1) यह पोर्टल प्रशासक की देखरेख में कार्य करेगा। केंद्रीकृत ऑनलाइन इकोमार्क पोर्टल पर जिन निकायों का पंजीकरण किया जाना है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आएंगे:

i. इकोमार्क/अन्य मान्यता प्राप्त घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक इकोलेबल उत्पादों या पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय इकोलेबल उत्पादों के उत्पादक/निर्यातक/आयातक;

ii. ऐसे उत्पादक/निर्यातक/आयातक जिन्होंने निर्यात/आयात सहित अन्य इकोलेबलिंग कार्यक्रमों (घरेलू/अंतरराष्ट्रीय) को अपनाया है;

iii. प्राधिकृत इकोमार्क सत्यापनकर्ता, तृतीय पक्ष बाज़ार निगरानी संस्थाएँ, अन्य तृतीय पक्ष संस्थाएँ;

(2) कोई भी संस्था बिना पंजीकरण के कोई व्यवसाय नहीं करेगी;

(3) इकोमार्क/अन्य मान्यता प्राप्त घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक इकोलेबल उत्पादों या पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय इकोलेबल उत्पादों के उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों के बारे में जानकारी और उनके उत्पादों के विवरण को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(4) निर्यात/आयात सहित अन्य इकोलेबलिंग कार्यक्रम (घरेलू/अंतरराष्ट्रीय) अपनाने वाले उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों के बारे में जानकारी और उनके उत्पादों के विवरण को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(5) इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट (1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए) सभी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रशासक को प्रस्तुत की जाएगी;

(6) यह पोर्टल उन संस्थाओं की संख्या पर नज़र रखेगा जो इकोमार्क प्रमाणन के लिए अपना आवेदन जमा करते हैं और प्रत्येक इकोमार्क प्रमाणित उत्पाद के विरुद्ध इकोमार्क प्रमाणित उत्पादों की बिक्री की मात्रा पर भी नज़र रखेंगे।

10. ज्ञान और डेटाबेस प्लेटफॉर्म – (1) प्रशासक एक ऑनलाइन ज्ञान और डेटाबेस प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इस डेटाबेस में संबंधित उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों से जुड़े सभी इकोमार्क प्रमाणित उत्पाद शामिल होंगे और इसमें ऐसे इको-लेबलिंग मानदंडों के बारे में जानकारी दी गयी होगी जो उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं।

(2) इस प्लेटफॉर्म पर इकोलेबलिंग को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव, इकोमार्क प्रमाणित उत्पादों के लाभ, सर्वोत्तम तरीकों और अन्य उदीयमान क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट और केस अध्ययन सहित जानकारी प्रकाशित की जाएगी।

11. नामित इकोमार्क सत्यापनकर्ता – (1) प्रशासक स्वयं या नामित इकोमार्क सत्यापनकर्ताओं के माध्यम से इकोमार्क नियमों के तहत उत्पादों को प्रमाण पत्र प्रदान/नवीनीकरण करने के लिए इकोलेबलिंग मानदंडों के अनुपालन का सत्यापन करेगा। ये नामित इकोमार्क सत्यापनकर्ता मान्यता प्राप्त संस्थाएं होंगी;

(2) प्राधिकृत इकोमार्क सत्यापनकर्ता समनुरूपता मूल्यांकन का कार्य करेंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कारखाने का दौरा करना, नमूने लेना, कारखाने का लेखा-परिक्षण करना, प्रमाणन के पुरस्कार/नवीनीकरण की सिफारिश करना, जैसे कार्य आ सकते हैं।

(3) प्राधिकृत इकोमार्क सत्यापनकर्ता प्रशासक द्वारा संचालित इकोमार्क पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे;

(4) प्राधिकृत इकोमार्क सत्यापनकर्ता इकोमार्क नियमों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने क्रियाकलापों का निष्पादन करेंगे;

(5) प्राधिकृत इकोमार्क सत्यापनकर्ता प्रमाणपत्र को प्रदान करने/इसका नवीनीकरण करने के लिए प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

(6) प्राधिकृत इकोमार्क सत्यापनकर्ता जिस वर्ष का रिटर्न दें उस वर्ष के अगले वर्ष की 31 मई को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में वार्षिक रिटर्न दाखिल करेंगे।

12. इकोमार्क के उपयोग पर बाजार निगरानी और नियंत्रण – (1) बाजार निगरानी में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाजार से नमूने लेना, इकोमार्क के दुरुपयोग पर नजर रखना, संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करना, आदि कार्य आएंगे। यह प्राधिकृत इकोमार्क सत्यापनकर्ताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से अलग होगा।

(2) प्रशासक स्वयं या अपने पैनल में शामिल तृतीय पक्ष बाजार निगरानी एजेंसियों के माध्यम से नियमित आधार पर प्रमाणीकरण के अनुसार अनुपालन के लिए उत्पाद का मूल्यांकन करेगा। प्रशासक, जैसा उचित हो, शिकायत किए जाने पर भी ऐसा सत्यापन करेगा। ये सत्यापन यादृच्छिक स्पॉट-चेक के अनुरूप भी किए जा सकते हैं;

(3) प्रशासक इकोमार्क नियमों के तहत प्रमाणित उत्पाद के संबंध में की गई किसी भी शिकायत के बारे में उत्पादक/आयातक/निर्यातक को सूचित करेगा और ऐसे उत्पादक/आयातक/निर्यातक से अनुरोध करेगा कि वे शिकायतों का उत्तर दें और उनका समाधान करें। प्रशासक उपयोगकर्ता से शिकायतकर्ता की पहचान को छिपा सकता है;

(4) इकोमार्क नियमों के तहत प्रमाणित निर्माता प्रशासक या उसके पैनल में आने वाली एजेंसियों को संबंधित इकोलेबल उत्पाद मानदंडों के अनुपालन की निगरानी के लिए सभी आवश्यक जांच करने की अनुमति देगा;

(5) इकोमार्क नियमों के अधीन उत्पादक/आयातक/निर्यातक प्रशासक और उसकी पैनलबद्ध एजेंसियों को उस परिसर तक पहुंच प्रदान करेगा, जहां से संबंधित प्रमाणित उत्पाद का उत्पादन/निर्यात किया जाता है, और आयातित प्रमाणित उत्पाद का भारत में भंडारण स्थान तक पहुंचने देगा। साइट-निरीक्षण किसी भी उचित समय पर तथा पूर्व सूचना के साथ या इसके बिना भी किया जा सकता है;

(6) बाजार निगरानी तृतीय पक्ष एजेंसियां जिस वर्ष का रिटर्न हो उसके अगले वर्ष के 31 मई को या उससे पहले इकोमार्क पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिटर्न दाखिल करेंगी।

13. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका – (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) स्थानीय निकायों की सहायता से मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के ऐसे अन्य साधनों के माध्यम से इकोमार्क नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी;

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) प्रशासक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और प्राधिकार के अनुसार इकोमार्क नियमों के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेंगे।

14. इकोमार्क को अपनाना – (1) संचालन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से इकोमार्क को प्रोत्साहित कर सकती है; (2) संचालन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार इकोमार्क प्रमाणन को अपनाने के लिए उपाय कर सकती है।

15. कार्यान्वयन समिति –

1. इकोमार्क नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति को उपायों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा;
2. यह समिति इकोमार्क नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी;
3. समिति को ऑनलाइन पोर्टल के विकास और संचालन के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का भी काम सौंपा जाएगा;
4. समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, उद्योग संघों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित हितधारक होंगे। समिति का अध्यक्ष इस समिति में किसी भी हितधारक / विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकता है;
5. समिति इकोमार्क नियमों के संचालन से उत्पन्न शिकायतों और शिकायतों का निवारण करेगी।

[फा.सं. एचएसएम-12/56/2022 – एचएसएम-पार्ट(2)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October 2023

S.O. 4441(E).—Whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change had notified a Scheme on labelling of environment friendly products – ‘Ecomark’ vide notification number G.S.R. 85 (E), dated the 21st February, 1991 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), to provide accreditation and labelling for household and other consumer products which meet certain environmental criteria along with quality requirements of the Indian Standards for that product.

And whereas, the Ecomark Scheme *inter-alia* provided a tool to the consumers to pursue sustainable consumption patterns as well as to the industry to implement environment-friendly processes or production methods.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by by sub-section (1), clause (ii) of sub-section 2 of section 3, sub-section (1) of section 6, and sub-section (1) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of G.S.R. 85 (E), 1991, the Central Government hereby specify the following Rules, on Eco-labelling of Product - the Ecomark Certification Rules, 2023, for information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said Notification within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110003 and may be sent to e-mail id: sohsm-d-mef@gov.in

1. Short Title, Application and Commencement – (1) This shall be called the Ecomark Certification Rules, 2023.

(2) This Notification shall apply to any product which is produced or supplied for distribution, or use in the market, unless otherwise excluded under the Ecomark Certification Rules.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Introduction – (1) The Ecomark Certification Rules (*hereinafter referred to as 'the Ecomark Rules'*) is for labelling of products which will have lesser adverse impacts on the environment, with the objective to encourage the consumers to adopt such products as well as the manufacturers for transitioning to production of Ecomark certified products for promoting sustainability.

(2) The Ecomark Rules will promote environmental friendly products and ensure environmental performance of such products w.r.t. resource consumption and environmental impacts, in particular the impact on climate change, the impact on nature and biodiversity, energy consumption, generation of waste, emissions to all environmental media, pollution through physical effects and use and release of hazardous substances.

(3) The Ecomark Rules will provide labelling to products that meet approved environmental criteria.

3. Objectives – (1) The Ecomark Rules are intended to encourage the demand for environmental friendly products that cause lesser adverse impacts on the environment thereby supporting the principles of 'LiFE (Lifestyle for Environment)', promoting resource efficiency & circular economy and preventing misleading information on environmental aspects of products.

(2) The overall objectives of the Ecomark Rules are as follows:-

- a. build consumer awareness on environmental issues and of the implications of their choices, thereby generating a change towards more environmental friendly behaviour and consumption patterns;
- b. encourage manufacturers for transitioning to production of Ecomark certified products;
- c. prevent misleading and deceptive information with respect to fraudulent use of Ecomark label.

4. Definitions– (1) In Ecomark Rules, the following definitions shall apply –

- a. **'Designated Ecomark Verifier'** means an agency/person designated to carry out verification of the product against set criteria;
- b. **'Act'** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), as amended from time to time;
- c. **'Audit'** means evaluation by a third party of the functioning of Designated Ecomark Verifiers, other third parties, various service providers for effective, impartial and fair functioning of the Ecomark Certification Rules;
- d. **'Ecomark Certificate'** means a certificate issued under the Ecomark Rules by the Administrator authorising a person or a body of persons to mark its product with the Ecomark;
- e. **'Ecomark Certificate Holder'** means a business operator authorized by an Ecomark Administrator to use Ecomark label;
- f. **'Conformity Assessment'** means evaluation by the Designated Ecomark Verifier of a product for its compliance with specified eco labelling criteria for the award/renewal of Ecomark certificate;
- g. **'Consumer'** means any person who buys any product with a consideration that it will have lesser adverse impacts on the environment;
- h. **'Environmental aspect'** means aspects of products which can interact with the environment;
- i. **'Environmental impact'** means any change to the environment, whether adverse or beneficial, wholly or partially resulting from products;
- j. **'Extended Producer Responsibility (EPR)'** means an environmental strategy in which a producer's responsibility for a product is extended to the post-consumer stage of a product's life cycle especially for recycling, and disposal of their products once those products are designated as no longer useful by consumers.
- k. **'Fitness for purpose'** means ability of a product to serve a defined purpose under specific conditions;
- l. **'Market Surveillance'** means evaluation by a third party that Ecomark certified product conforms to specified eco labelling requirements. Market surveillance shall inter-alia include picking samples from market, keeping an eye on misuse of Ecomark, raiding suspected places etc.;
- m. **'Misleading advertisement'** in relation to any product, means an advertisement, which deliberately conceals important information or is likely to mislead the consumers on the environmental aspect of such product;

- n. **'Portal'** means the online mechanism for implementation of Ecomark Rules;
- o. **'Process'** means procedures in which a product is manufactured or a service is delivered. It may include the processes involved in upstream and downstream value chain;
- p. **'Product'** means any goods or service or process;
- q. **'Producer'** means a manufacturer or a service provider;
- r. **'Product category'** means group of products which have equivalent function;
- s. **'Product environmental criteria'** means environmental requirements that the product shall meet in order to be awarded an environmental label;
- t. **'Third party'** means a person or body that is recognized as being independent of the parties involved, as concerns the issue in question;

(2) Words and expressions used in this notification and not defined herein but defined in the Environment (Protection) Act, 1986 or any other rules or regulations issued under the said Act, shall have the same meaning as assigned to them respectively in the Act, or such other rules or regulations.

5. Criteria for Ecomark – (1) Environmental criteria for each product /product category under Ecomark Rules shall be notified by the Central Government. The criteria shall be for broad environmental levels and aspects, with specific criteria at the product level.

(2) Certification of Standards Body (national or international) for quality and safety, or mandate of Quality Control Orders shall be pre-requisite for Ecomark.

(3) Products will be examined in terms environmental impacts which *inter-alia* include, but not limited to the following –

- i. That they have substantially less potential for pollution, environmental impact, minimize or eliminate generation of waste and environmental emissions, than other comparable products;
- ii. That they are recyclable and/or made from recycled products where comparable products are not;
- iii. That they make significant contribution to saving non-renewable resources, including non-renewable energy sources and natural resources, compared to comparable products;
- iv. That the product contributes to reduction in respect of such product primary criteria, which have adverse impacts on the environment, that are specifically set for each of the product/product categories;

(4) Product primary criteria shall inter-alia include, but not limited to the following –

- i. Production or process including source of raw material;
- ii. Use of natural resources;
- iii. Likely impact on the environment;
- iv. Effect & extent of emissions/waste arising from the production process;
- v. Disposal of the product and its packaging;
- vi. Compliance to Extended Producer Responsibility regulations (where applicable);
- vii. Utilization of waste and recycled materials;
- viii. Suitability for recycling;
- ix. Substitution of hazardous substances with safer ones.

6. Implementation Mechanism of the Ecomark Rules – (1) The Central Government will administer the Ecomark Rules with an objective to enhance the efforts for protecting and conserving the environment in the country. The governance of the Ecomark Rules for its effective implementation shall vest in the Steering Committee. The Steering Committee will comprise representatives from the concerned Ministries/Departments, domain experts, representatives from industry associations, consumer groups and other relevant stakeholders.

(2) Steering Committee shall have the following functions:

- i. Grant approvals in respect of the following:
 - a. framework for institutionalizing the Ecomark Rules;
 - b. initiatives to incentivize the Ecomark certified business operators;

- c. notify product/product categories to be included in the Ecomark Rules on the recommendations of the Ecomark Administrator;
 - d. recognition of domestic as well as international voluntary ecolabelling programme;
 - e. activities related to creation of mass awareness for promotion of the Ecomark Rules;
 - f. strategies for promotion and future development of the Ecomark Rules.
- ii. Make recommendations to the Central Government in respect of following:
- a. determine the product/product category to be included in the Ecomark Rules;
 - b. inclusion of Ecomark products in public procurement under GeM portal;
 - c. allocation of resources for implementation of the Ecomark Rules.
 - d. measures for adoption of Ecomark;
- iii. Review and monitoring of the implementation of the Ecomark Rules:
- a. duration to review the Ecomark criteria in respect of Ecomark product(s);
 - b. support any research/activity for evaluation of environmental impacts of the product(s) and/or formulation of Ecomark criteria;
 - c. annual implementation reports for effective and efficient implementation of the provisions of the Ecomark Rules.
 - d. disputes arising from time to time and/or on representations received in this regard, and refer to the Ministry any substantial issue arisen, pertaining to the Ecomark Rules;
- iv. Guide on mutual recognition of international ecolabelling programme;
- v. Any other function as may be assigned by the Central Government.

(3) Steering Committee shall meet at least twice in a year, or as may be required.

(4) In case of false disclosures and fraudulent claims, penalties may be levied as per Section 15 of the Environment (Protection) Act of 1986.

7. Ecomark Administrator and its functions – (1) The Ecomark Administrator (hereinafter referred to as ‘the Administrator’) shall be responsible for implementation of the Ecomark Rules.

(2) The Central Pollution Control Board shall be the Administrator of the Ecomark Rules.

(3) The responsibilities of the Administrator shall include the following:

- i. Develop guidelines in respect of following:
 - a. framework for institutionalizing the Ecomark Rules;
 - b. development of Ecomark Web portal and Knowledge/Database platform within six months of date of publication of the notification;
 - c. for designation of Ecomark Verifiers;
 - d. for appointing third parties for carrying out market surveillance activities;
 - e. for fixing fees to be charged by Designated Ecomark Verifiers, third parties empanelled for market surveillance, any other third party empanelled for the services rendered by them;
- ii. identify the products to be covered under Ecomark Rules;
- iii. constitute technical committees for different products under the Ecomark Rules; to develop the specific criteria that a product shall comply with in order to be certified under the Ecomark Rules;
- iv. review the existing state of knowledge and the environmental criteria being followed domestically/in other countries;
- v. develop initiatives to incentivize the Ecomark certified entities for adoption of Ecomark, as approved by the Steering Committee;
- vi. register Designated Ecomark Verifiers, third party for market surveillance and third party on Ecomark web portal;
- vii. empanel Designated Ecomark Verifiers, and third parties for Market Surveillance as well as audit;

- viii. issue the Ecomark certificate based on verification authorising a person or a body of persons to mark its product with the Ecomark or recognised eco label;
- ix. review, suspend, or cancel a Ecomark certificate, for the use of the Ecomark or recognised eco label;
- x. review Ecomark criteria from time to time taking technology development and market evolution into consideration;
- xi. compile the annual reports submitted by all the Ecomark or other recognised eco label entities and submit to Steering Committee by 30th June of the next financial year;
- xii. assess domestic or international voluntary ecolabelling programme, for recognition under Ecomark Rules;
- xiii. assess international ecolabelling programme, for mutual recognition;
- xiv. direct the Ecomark certificate holders to pay compensation in case of non-compliance of provisions of the Notification;
- xv. in case, any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for getting registration required to be provided/furnished under the Ecomark Rules or in case of any malpractice/irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Administrator for a prescribed period after giving an opportunity to be heard;
- xvi. any other function as assigned by the Steering Committee or the Central Government.

(4) Ecomark Administrator may, from time to time, issue notifications and orders, with the approval of the Steering Committee, as considered appropriate for the implementation of the Ecomark Rules.

8. Technical Committees and their functions – (1) The Administrator may constitute Technical Committees comprising of members having requisite knowledge from the specified categories, representatives from concerned Ministries/Departments, subject matter experts, representatives from industry associations and other stakeholders;

(2) Technical Committee will develop and review the specific Ecomark criteria for products, in light of market developments as well as technological advancements and considering economic viability;

(3) Technical Committee will also develop the process of evaluation of products for Ecomark certification;

(4) Technical Committee may consider international ecolabel product criteria while developing the specific Ecomark criteria;

(5) Technical Committee shall make its recommendations to the Administrator;

(6) Technical Committee shall advise on any other technical matter referred to by the Administrator.

9. Ecomark Portal – (1) This Portal would function under the supervision of the Administrator. The entities to be registered on the centralized online Ecomark Portal shall inter-alia include:

- i. Producers/Exporters/Importers of Ecomark/other recognized domestic or international voluntary ecolabel products or mutually recognized international ecolabel products;
- ii. Producers/Exporters/Importers who have adopted other ecolabelling programs (domestic/international) including for the purpose of exports/imports;
- iii. Designated Ecomark Verifiers, third party market surveillance entities, other third party entities;

(2) No entity shall carry out any business without registration;

(3) The information about producers/exporters/importers of Ecomark/other recognised domestic or international voluntary ecolabel products or mutually recognized international ecolabel products and the details of their products will be made available on the portal;

(4) The information about producers/exporters/importers who have adopted other ecolabelling programs (domestic/international) including for the purpose of exports/imports and the details of their products will be made available on the portal;

(5) Annual implementation report (for the period 1st April to 31st March) providing information about the compliance of provisions of this notification shall be submitted by all registered entities, by 30th June of the next financial year, to the Administrator;

(6) The Portal shall keep track of the number of entities that submit their application for Ecomark certification and also the quantum of sale of Ecomark certified products made against each Ecomark certified product.

10. Knowledge and Database Platform – (1) The Administrator shall develop an online knowledge and database platform. Database shall consist of all Ecomark certified products linked to respective producers/importers/exporters and giving information on eco-labelling criteria that make the product environment friendly.

(2) This Platform shall publish information including reports and case studies regarding environmental impact of products, benefits of Ecomark certified products, best practices and other emerging areas in order to promote adoption of ecolabelling.

11. Designated Ecomark Verifiers –

(1) The Administrator by itself or through Designated Ecomark verifiers shall verify compliance with ecolabelling criteria for the award/renewal of certificate to products under the Ecomark Rules. Designated Ecomark Verifiers shall be accredited entities;

(2) Designated Ecomark verifiers shall undertake conformity assessment which inter-alia may include visiting factory, drawing samples, audit of factory, recommending for award/renewal of certification.

(3) Designated Ecomark verifiers shall register on the Ecomark portal maintained by the Administrator;

(4) Designated Ecomark verifiers shall carry out their activities in accordance with the prescribed guidelines under the Ecomark Rules;

(5) Designated Ecomark verifiers shall submit the reports to the Administrator for grant / renewal of certificate;

(6) Designated Ecomark verifiers shall file annual returns in the prescribed form on the portal on or before 31st May of succeeding year, to which the return relates.

12. Market surveillance and control of the use of the Ecomark – (1) Market surveillance shall inter-alia include picking samples from market, keeping an eye on misuse of Ecomark, raiding suspected places etc. It shall be different from the activities to be undertaken by Designated Ecomark verifiers.

(2) The Administrator shall by itself or through its empanelled third party market surveillance agencies, evaluate that the product for compliance according to the certification, on a regular basis. Administrator shall, as appropriate, also undertake such verification upon complaint. These verifications may take the form of random spot-checks;

(3) The Administrator shall inform the producer/importer/exporter of any complaints made concerning the product bearing certified under the Ecomark Rules, and shall request the producer/importer/exporter to reply and resolve the complaint(s). The Administrator may withhold the identity of the complainant from the user;

(4) The certified manufacturer under the Ecomark Rules shall allow the Administrator or its empanelled agencies to undertake all necessary investigations to monitor its compliance with the respective ecolabel product criteria;

(5) The producer/importer/exporter under the Ecomark Rules shall grant access to the premises from which the certified product concerned is produced/exported and storage space in India of imported certified product, to the Administrator and its empanelled agencies. The site-inspection may be made with or without prior notice at any reasonable time;

(6) Market surveillance third party agencies shall file annual returns in the prescribed form on the Ecomark Portal on or before 31st May of the succeeding year, to which the return relates.

13. Role of State Government/Union Territories – (1) The State Pollution Control Board (SPCB)/ Pollution Control Committee (PCC) shall create awareness about the Ecomark Rules through media, publications, advertisements, posters or by such other means of communication with the support of Local Bodies;

(2) State Pollution Control Board (SPCB)/ Pollution Control Committee (PCC) shall undertake activities for implementation of the Ecomark Rules in accordance with the guidelines and authorization issued by the Administrator.

14. Adoption of the Ecomark – (1) The Central Government on recommendation of the Steering Committee may incentivize Ecomark through any program related to protection and conservation of environment;

(2) The Central Government, on recommendation of the Steering Committee, may take measures for the adoption of Ecomark Certification.

15. Implementation Committee –

1. A Committee shall be constituted by the Central Government under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Steering Committee for effective implementation of the Ecomark Rules;

2. The Committee shall monitor the implementation of the Ecomark Rules and also take such measures as required for removal of difficulties;

3. The Committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the development and operation of the online portal;
4. The Committee shall comprise of representatives of the concerned Ministries/Departments, representatives of industry associations and other relevant stakeholders. The Chairperson of the Committee may co-opt any stakeholder/expert to this Committee;
5. The Committee shall redress grievance and complaints arising out of the operation of the Ecomark Rules.

[F.No.12/56/2022—HSM-Part(2)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.